

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 396707 /

पटना, दिनांक 8/11/2018

ग्रा0वि0 15 स्वच्छता -18/2016(खण्ड)

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०,
सचिव,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: National Annual Rural Sanitation Survey (NARSS) आधारित विश्व बैंक संपोषित राशि से अकार्यरत शौचालय (Dysfunctional) को कार्यरत (Functional) करने के संबंध में।

प्रसंग: संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक S-18013/2/2014-0/5.5.18 एवं S-18011/24/2015-SBM/2.8.18 एवं 18011/24/2015-17.10.2018 के आलोक में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NARSS आधारित विश्व बैंक संपोषित राशि से बेस लाईन सर्वे में चिन्हित अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालयों को कार्यरत (Functional) करने का निदेश दिया गया है। इसके लिए प्रति शौचालय अधिकतम 12,000.00 रु० (बारह हजार रूपये) तक व्यय किया जा सकता है।

राज्य के बेस लाईन सर्वे के अनुसार कुल 8.25 लाख अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालय थे, जिसमें से कुल 1.35 लाख अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालयों को कार्यरत (Functional) कर लिया गया है तथा कुल 80595 (अस्सी हजार पाँच सौ पंचानवे) अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालयों से संबंधित लाभार्थी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने की सूचना जिलों द्वारा दी गयी है। अतः वर्तमान में कुल 6.02 लाख अकार्यरत(Dysfunctional) शौचालय बेसलाईन सर्वे में दर्ज है।

विदित हो कि पूर्व में पत्रांक 507 दिनांक 01.12.2017 द्वारा सभी अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालयों का जिला स्तर पर सर्वे किये जाने का निर्देश दिया गया था एवं पत्रांक 305/ दिनांक 18.07.2018 द्वारा अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालयों को विभिन्न (कोटि) Category में दर्ज करते हुए कोटिवार उपलब्ध निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। NARSS आधारित विश्व बैंक संपोषित मद से अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालयों को कार्यरत (Functional) करने हेतु जिला द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी-

q/c

8/11/18


- I. विभागीय पत्रांक 305/ दिनांक 18.07.2018 में वर्णित कोटिवार चिन्हित शौचालयों का सर्वेक्षण प्रखण्ड के विकास मित्र/ पंचायत रोजगार सेवक/ प्रखण्ड समन्वयक या अन्य (जो इस कार्य हेतु वेरिफायर के रूप में नामित होंगे) से कराये जाने के उपरांत विहित प्रपत्र (प्रपत्र-1) में सूचीबद्ध किया जायेगा। (ग्राम पंचायत वार/ प्रखंड वार एवं जिला स्तर पर समेकन)
- II. इस सर्वेक्षण के क्रम में वेरिफायर द्वारा चिन्हित कोटि-2 (लाभुक-उपलब्ध, शौचालय-अकार्यरत) के अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालय की वर्तमान स्थिति (फोटो के माध्यम से) को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा विकसित विशेष मोबाइल Application में entry करेंगे।
- III. वेरिफायर द्वारा सर्वेक्षण के क्रम में कोटि-3 (लाभुक-अनुपलब्ध) अन्तर्गत पाये गये अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालय के नाम को B-7 Module से (IMIS) में shift कर दिया जायेगा।
- IV. वेरिफायर द्वारा सर्वेक्षण के क्रम में कोटि-4 (लाभुक-उपलब्ध, शौचालय-अनुपलब्ध) अन्तर्गत पाये गये अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालय के नामों की सूची के संबंध में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा NEC (Non existing Certificate of IHHL) निर्गत किया जायेगा, एवं निर्गत सभी NEC (Non existing Certificate) की सूची SPMU-LSBA को उप विकास आयुक्त के माध्यम से भेजी जायेगी।
कोटि-4(क) में सम्मिलित वैसे लाभार्थी जिनके पास शौचालय नहीं है परन्तु उन्हें भुगतान (प्रोत्साहन राशि) प्राप्त है, तो उन्हें शौचालय निर्माण के उपरांत 5,000 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देय होगी तथा लाभार्थी कोटि-4 (ख) अन्तर्गत वैसे लाभार्थी जिनके पास शौचालय नहीं है एवं पूर्व में प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त नहीं है, उन्हें नवनिर्मित IHHL हेतु 12,000/- (बारह हजार रुपये मात्र) देय होगी। उपरोक्त दोनों कोटि-4 (क) एवं 4 (ख) में प्रखण्ड द्वारा निर्गत NEC (Non existing Certificate) प्रमाण पत्र के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार (MoDWS) से स्वीकृति के उपरांत ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
- V. सर्वेक्षण के उपरांत, वेरिफायर मोबाइल Application के माध्यम से सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- VI. वेरिफायर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा 2% HH का Random स्तर पर जांच किया जाएगा।
- VII. संबंधित लाभार्थी द्वारा Retro Fitting या New IHHL निर्माण कर अकार्यरत (Dysfunctional) कोटि में दर्ज शौचालय को कार्यरत (Functional) किया जायेगा।
- VIII. अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालय के कार्यरत (Functional) होने के उपरांत वेरिफायर (विकास मित्र/प्रखण्ड समन्वयक) इत्यादि द्वारा पुनः सर्वेक्षण किया जायेगा एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा विकसित विशेष मोबाइल Application में कार्यरत (Functional) शौचालय की परिवर्तित स्थिति की फोटो को दर्ज (इंट्री) करेंगे।
- IX. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के वेब पोर्टल/मोबाइल Application के माध्यम से लाभुक के अकार्यरत (Dysfunctional) एवं कार्यरत (Functional) दोनों शौचालय का फोटो देखा जा सकता है एवं उनके द्वारा Random जांच भी किया जा सकता है।
- X. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरांत लाभुक का नाम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान वेब पोर्टल पर भुगतान के लिए उपलब्ध होंगे।



- XI. उपरोक्त क्रम में पूर्ण कार्यरत (Functional) शौचालय की इंट्री के उपरांत डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। भुगतान हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान वेब पोर्टल के माध्यम से NARSS आधारित विश्व बैंक संपोषित मद के खाता से कार्यरत (Functional) शौचालय हेतु 5000 रू०/- (पांच हजार रूपये मात्र) प्रति लाभुक कोटि-2 एवं कोटि-4 (क) हेतु एवं 12,000/- रू० (बारह हजार रूपये मात्र) कोटि-4 (ख) हेतु भुगतान सीधे उनके खाते में (DBT) किया जायेगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देश के आलोक में जिलों में बेस लाईन सर्वे (अकार्यरत शौचालय से संबंधित) के अनुरूप अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालयों को कार्यरत करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई यथा शीघ्र की जाए।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव।

जापांक 396707 /

पटना, दिनांक 8/11/2018


प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त -सह - उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


सचिव। 8/11/2018

जापांक 396707 /

पटना, दिनांक 8/11/2018

प्रतिलिपि - मिशन निदेशक -सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।।


सचिव। 8/11/2018

